भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1802

उत्तर देने की तारीख- 01/08/2024

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए विकास कार्यक्रम

†1802. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए शुरु किए गए विकास कार्यक्रमों (विद्यालयों, अस्पतालों आदि) और आजीविका कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) तमिलनाडु में इन विकास योजनाओं से लाभान्वित जनजातीय लोगों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत दस वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विशेषरूप से कमजोर जनजातीय समूहों के कितने लोगों को नौकरी के अवसर और आवास प्रदान किए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक और समग्र विकास के लिए "पीवीटीजी के विकास" की योजना को क्रियान्वित (लागू) कर रहा था, जिसमें संरक्षण सह विकास (सीसीडी) योजनाओं के लिए उनके प्रस्तावों के आधार पर संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत शामिल कर लिया गया है। यह मिशन 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए शुरू किया गया है, जिसमें 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत मकानों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं। इन उद्देश्यों को 9 मंत्रालयों के 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना है जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

क्र.सं.	गतिविधि	स्कीम	मंत्रालय
1	पक्के मकानों का प्रावधान	प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण	ग्रामीण विकास मंत्रालय
2	सड़क संपर्क	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	
3	पाइप से जल आपूर्ति व्यक्तिगत या सामुदायिक जल आपूर्ति	जल जीवन मिशन (जेजेएम)	जल शक्ति मंत्रालय
4	दवा लागत के साथ मोबाइल चिकित्सा इकाइयां (एमएमयू)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
5	छात्रावासों का निर्माण और संचालन	समग्र शिक्षा (छात्रावास)	शिक्षा मंत्रालय
6	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन	आंगनवाड़ी सेवाएं (एडब्ल्यूसी)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
7	वीडीवीके की स्थापना	पीएम जनजातीय विकास मिशन	जनजातीय कार्य मंत्रालय
8	बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) का निर्माण	पीवीटीजी का विकास	
9	अविद्युतीकृत परिवारों का विद्युतीकरण	नवस्वरूपित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) या एमएनआरई योजना के माध्यम से	विद्युत मंत्रालय
10	मोबाइल टावरों की स्थापना	दूरसंचार विभाग (यूएसओएफ)	संचार मंत्रालय
11	व्यावसायिक शिक्षा और कौशल	समग्र शिक्षा अभियान और पीएम कौशल विकास	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग कौशल विकास मंत्रालय

मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक मंत्रालय द्वारा मंत्रालय-वार स्वीकृत गतिविधियों/परियोजनाओं (20.07.2024 तक) और तमिलनाडु राज्य में लाभान्वित जनजातीय लोगों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

मंत्रालय का नाम	**स्वीकृति विवरण**
ग्रामीण विकास मंत्रालय	4530 घर (13 घर पूरे हो चुके हैं)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	105 एमएमयू (30.06.2024 तक 55,575 लाभार्थी)
जल शक्ति मंत्रालय	9670 एफएचटीसी प्रदान कराए गए
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	13 आंगनवाड़ी केंद्र (10 चालू)
शिक्षा मंत्रालय	50-50 की क्षमता वाले 7 छात्रावास
संचार मंत्रालय	24 गांवों/बस्तियों का कवरेज
विद्युत मंत्रालय	10673 परिवार
जनजातीय कार्य मंत्रालय	25 बहुउद्देश्यीय केंद्र (एमपीसी)
	37 वनधन विकास केंद्र (वीडीवीके (2403 लाभार्थियों को कवर करते हुए)

इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 से पीवीटीजी के विकास की योजना के अंतर्गत अनुमोदित पीवीटीजी के लिए मकानों के निर्माण की गतिविधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

अनुलग्नक I

"विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए विकास कार्यक्रम" के संबंध में डॉ. डी. रवि कुमार द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †1802 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के संबंध में अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 'पीवीटीजी का विकास' योजना के अंतर्गत अनुमोदित पीवीटीजी के लिए मकानों के निर्माण से संबंधित गतिविधियों का विवरण

वित्तीय वर्ष: 2016-17

(लाख रुपए में)

राज्य	**गतिविधि**	**पीएसी द्वारा स्वीकृत राशि**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	ऊंचे स्थानों पर नए ओंगे मकानों का निर्माण, पाइप से जलापूर्ति	200.00
तमिलनाडु	2,50,000/- रुपये की लागत की दर से 271 परिवारों के लिए मकानों का निर्माण - 1). पनिया के लिए एलुमुरम, गुडालुर तालुक में 10 मकान 2). पनिया के लिए पंडालुर, गुडालुर तालुक में 20 मकान 3). इरुला के लिए तिरुवन्नामलाई जिले में 161 मकान 4). इरुला के लिए तिरुवन्नामलाईक जिले में 40 मकान 5). इरुला के लिए तिरुवल्लूर जिले में 40 मकान	677.50
	बिलिंगुन्नु, नीलगिरी जिले में कट्टुनैयक्कन क्वार्टरों के लिए बुनियादी सुविधाएं 1). 25 परिवारों के लिए मकान (25*250000)	62.50
	तिरुवन्नामलाई जिले के चेय्यार तालुक में मिसानाल्लूर इरुला बंधुआ मजदूर पुनर्वास कॉलोनी में निम्नलिखित बुनियादी सुविधाएं 1). 2,50,000/- रुपए की दर से 100 परिवारों के लिए मकानों का निर्माण	250.00

वित्तीय वर्ष: 2017-18

(लाख रुपए में)

राज्य	**गतिविधि**	**पीएसी द्वारा स्वीकृत राशि**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	ऊँचे मैदानों पर नए ओंगे मकानों का निर्माण, पाइप से जलापूर्ति कुल परियोजना अनुमान - 100.00 लाख रुपए की राशि पहले से ही निर्मुक्त - 100.00 लाख रुपए स्थान/जिला - 200.00	100.00
	6 इकाइयों के लिए ऊंचे स्थानों पर नए ओंगे मकानों का निर्माण - 118 लाभार्थी	408.00
तमिलनाडु	टोडा, कोडा, कुरुम्बा, कट्टुनायका, इरुला और पनिया के लिए मकानों का निर्माण, 2,50,000/- रुपए की दर से 2380 लाभार्थियों के लिए पर्नापट्टी गांव, कोट्टापड्डी पंचायत, पेन्नाग्राम तालुक के मकानों का निर्माण, इरुलास मलयालापट्टी और उदयरपालयम के लिए मकानों का निर्माण	1223.10

वित्तीय वर्ष: 2018-19

(लाख रुपए में)

राज्य	**गतिविधि**	**पीएसी द्वारा स्वीकृत राशि**
कर्नाटक	पीवीटीजी के लिए आवास - कर्नाटक में दो पीवीटीजी आबादी जेनुकुरुबा - 36,076 कोरागा - 14,794 (2011 की जनगणना के अनुसार) हैं वास्तविक लक्ष्य 3.50 लाख रुपए की दर से 263 इकाई लागत (3.50 X 263 = 920.50 लाख) भारत सरकार का अंश - 50% - राज्य का हिस्सा - 50%	460.00
मणिपुर	मरम आदिम जनजाति के लोगों के लिए मकान निर्माण हेतु सहायता	100.00
तमिलनाडु	बचाए गए भारतीय बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण के लिए निधियों का प्रावधान - (लाभार्थी - 15) स्थान तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, वेल्लोर	45.00
	जनजातियों के लिए मकानों का निर्माण - (लाभार्थी - 600) स्थान - 12 जिले।	900.00
पश्चिम बंगाल	आवास - (रु. 1,20,000/- प्रति मकान) की दर से पीएमएवाई मानदंडों के अनुसार लोधा परिवारों (100) के लिए झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा और पुरुलिया जिलों में मकानों का निर्माण	120.00

वित्तीय वर्ष: 2019-20

(लाख रुपए में)

राज्य	**गतिविधि**	**पीएसी द्वारा स्वीकृत राशि**
कर्नाटक	पीवीटीजी (जेनुकुरुबा और कोरागा पीवीटीजी) के लिए आवास वास्तविक लक्ष्य 2732 इकाई 3.50 लाख रुपये लागत की दर से	2130.96
महाराष्ट्र	बुनियादी सुविधाओं के साथ पीवीटीजी के लिए आवास - लाभार्थी: 2000. प्रति परिवार 1.5 लाख रुपये। परियोजना की अवधि: 2 वर्ष	1500.00
मणिपुर	मरम पीवीटीजी लोगों के लिए 1.50 लाख रुपये प्रति परिवार - (100 परिवार) की दर से मकान निर्माण हेतु सहायता	100.00
तमिलनाडु	बचाए गए इरुला बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण हेतु निधियों का प्रावधान (तिरुवल्लूर में 7 मकान, कांचीपुरम में 7 मकान और वेल्लोर में 1 घर = 15 मकान) - (15 x 300000 रुपये)	45.00
	जनजातियों के लिए मकानों का निर्माण, 25 मकान प्रत्येक = 300 x 300000 रुपए	900.00
तेलंगाना	3.00 लाख प्रति इकाई की दर से मॉडल पीवीटीजी आवासीय कॉलोनियां (25 आवासीय कॉलोनियों में 194 मकान , 7 इकाई प्रति कॉलोनी) आंतरिक सड़कों आदि जैसे सामान्य बुनियादी ढांचे के साथ।	582.00
पश्चिम बंगाल	पीएमएवाई मानदंडों के अनुसार नए आवास गृह का निर्माण 1,20,000/- रुपए की दर से 10 यूनिट	12.00
	लोधा परिवारों के लिए नए आवास गृह का निर्माण, 50 परिवार 2 1.20 रुपए लाख प्रति यूनिट	60.00
	1,20,000/- रुपए प्रति यूनिट की दर से 15 परिवारों के लिए पीएमएवाई मानदंडों के अनुसार आवास गृह का निर्माण	18.00

वित्तीय वर्ष: 2020-21

(लाख रुपए में)

राज्य	**गतिविधि**	**पीएसी द्वारा स्वीकृत राशि**
कर्नाटक	पीवीटीजी (जेनुकुरुबा और कोरागा पीवीटीजी) के लिए आवास वास्तविक लक्ष्य 2732 इकाई 3.50 लाख रुपये की लागत दर से अनुमोदन वर्ष 2019-20 पीवीटीजी के लिए आवास	197.96
मणिपुर	90 परिवारों के लिए प्रति परिवार 1,00,000/- रुपये की दर से मरम पीवीटीजी के लिए मकान निर्माण हेतु सहायता। बुनियादी ढांचा: आवास	90.00
तमिलनाडु	जनजातीय परिवारों के लिए मकानों का निर्माण, कुल इकाई: 400 इकाई, इकाई लागत: रु. 1.30 लाख, कुल राशि - रु. 520.00 लाख, केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 लागत साझाकरण (शेयरिंग)। बुनियादी ढांचा- आवास सीसीए	312.00
त्रिपुरा	7,00,000 रुपये की दर से प्रति घर पीवीटीजी लोगों के लिए पीएमएवाई मकानों के निर्माण के लिए सहायता मात्रा: 100 - लाभार्थी: 100, बुनियादी ढांचा (सीसीए)	200.00
पश्चिम बंगाल	पीएमएवाई मानदंडों के अनुसार 20 परिवारों के लिए 1,20,000 रुपये प्रति इकाई की दर से आवासीय मकान का निर्माण - बुनियादी ढांचा: आवास	24.00
	200 लोधा परिवारों के लिए 1.20 लाख रुपये प्रति इकाई की दर से नए आवास का निर्माण, 200 परिवारों के लिए 25,000 रुपये प्रति इकाई की दर से पारंपरिक लोधा झोपड़ियों की मरम्मत, आवासों और स्वच्छ शौचालयों का रखरखाव - 50 परिवारों के लिए 30,000 रुपये प्रति परिवार और 50 मकानों के लिए 1.20 लाख रुपये प्रति मकान की दर से मकानों का निर्माण - बुनियादी ढांचा: आवास	185.00

वित्तीय वर्ष: 2021-22

(लाख रुपए में)

राज्य	**गतिविधि**	**पीएसी द्वारा स्वीकृत राशि**
गुजरात	नए मकानों का निर्माण: डांग जिले के पीवीटीजी परिवारों को नए मकान उपलब्ध कराना - इकाई लागत: 1.20 लाख रुपये - कुल इकाइयाँ: 181	217.20
मणिपुर	मरम पीवीटीजी हेतु मकान निर्माण हेतु 90 परिवारों के लिए प्रति परिवार 1,00,000/- रुपये की सहायता	90.00

तमिलनाडु	बेघर पीवीटीजी के लिए मकानों का निर्माण कुल इकाइयाँ : 387 - इकाइयों की लागत : 4.90	1354.50
त्रिपुरा	संचार और बुनियादी ढांचा: पीवीटीजी परिवारों के लिए 2.50 लाख रुपये प्रति घर की दर से 300 मकानों का निर्माण - [आवास]	750.00

वित्तीय वर्ष: 2022-23

(लाख रुपए में)

राज्य	**गतिविधि**	**पीएसी द्वारा स्वीकृत राशि**
आंध्र प्रदेश	पीवीटीजी के लिए मकानों का निर्माण, इकाई लागत- 2.50 लाख रुपये, इकाइयां- 3427, (1100 इकाइयों के लिए)	2750.00
छत्तीसगढ़	पीवीटीजी के लिए मकानों का निर्माण, इकाई लागत- 2.50 लाख रुपये इकाइयां- 1696	4240.00
गुजरात	1.20 लाख रुपए की इकाई लागत की दर से साबरकांठा जिले के 06 पीवीटीजी परिवारों के लिए आवास।	7.20
	1.20 लाख रुपए की इकाई लागत की दर से सूरत जिले के 207 पीवीटीजी परिवारों के लिए आवास।	248.40
	पीवीटीजी के लिए मकानों का निर्माण, इकाई लागत- 1.20 लाख रुपए इकाइयां- 4000	4800.00
कर्नाटक	कर्नाटक में पीवीटीजी के लिए आवास दो पीवीटीजी की जनसंख्या जेनुकुरुबा - 36,076 और कोरागा - 14,794 (2011 की जनगणना के अनुसार) वास्तविक लक्ष्य 226 इकाई - 3.50 लाख रुपए की दर से लागत (3.50 x 226 =791.00 लाख)	395.50
	पीवीटीजी के लिए मकानों का निर्माण, इकाई लागत- 3.50 लाख रुपए, इकाइयां- 1372, कुल लागत- 4802.00 लाख रुपए, भारत सरकार का अंश- 2.5 लाख रुपए प्रति इकाई की दर से 3430.00 लाख रुपए	3430.00
ओडिशा	पीवीटीजी के लिए मकानों का निर्माण, इकाई लागत- रु. 2.50 लाख, इकाइयां- 1524	3810.00
राजस्थान	पीवीटीजी के लिए मकानों का निर्माण 2.50 लाख, यूनिट- 1152	2880.00
तमिलनाडु	पहाड़ी क्षेत्रों में मकानों का निर्माण - 30 घर (495430 रुपये) मैदानी क्षेत्रों में - 528 (437430 रुपये की दर से)	1395.00
तेलंगाना	चेंचू के लिए मकानों का निर्माण - 667 यूनिट	1667.50
	कोंडारेड्डी के लिए मकानों का निर्माण - 346 यूनिट	865.00

	कोलम के लिए मकानों का निर्माण - 878 यूनिट	2195.00
	थोटी के लिए मकानों का निर्माण - 122 यूनिट	305.00
त्रिपुरा	पीवीटीजी के लिए मकानों का निर्माण, यूनिट लागत - 2.50 लाख रुपये, यूनिट- 932	2330.00
पश्चिम बंगाल	पीवीटीजी के लिए मकानों का निर्माण, यूनिट लागत - 2.50 लाख रुपये, यूनिट- 1018	2545.00

*****